

सं. 31011/11/2015-स्था.(क.IV)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001


दिनांक : 12 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 - एलटीसी पर रेल यात्रा करने के संबंध में खान पान प्रभार की स्वीकार्यता ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर राजधानी/शताब्दी द्वारा रेल यात्रा के संबंध में भारतीय रेल द्वारा प्रभारित खान पान प्रभार की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से खान पान सुविधा का उपभोग करना पड़े और वह लागत, राजधानी/शताब्दी/दुरंतो के रेल किराया में शामिल हैं, तो सरकारी कर्मचारी की ग्राह्यता/पात्रता के अनुसार प्रभारित किराए की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी।


12.5.16
(सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

10. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
12. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
13. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
14. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली
15. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
16. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
17. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
18. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित का.जा./आदेश->स्थापना->एलटीसी नियम